कार्य अहलाम

केस नम्बर: [illegible]

आवेदक: [illegible] उपजिलाधिकारी जमवारामगढ़

[illegible] 98/2024

[illegible]	[illegible]	[illegible]
17/9/24	1. पत्रावली पेश हुई। [illegible] किया गया। 2. पक्षकारों के अनुसार आपसी तालमेल [illegible] दिनांक 22/9/24 को पेश हो।	
22/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली [illegible] किया गया। 21/10/24 को पेश हो।	उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
21/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संबंधित मूल वाद/पालना पत्र पर विचार करते हुए मूल वाद/पालना पत्र को अन्तिम रूप से निर्णीत किया जा चुका है। अतः अब इस स्थगन पालना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं। अतः इस स्थगन पालना पत्र को हमेशा हेतु निर्णीत किया जाता है। निर्णय आज दिनांक [illegible] को सुनाया गया। पत्रावली कैलेण्डर शुमार होकर नाकारा करने के बाद दर्ज होकर दफ्तर दाखिल हो।	उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़